संख्या– 54/22–2–2011–18(64)/99

प्रेषक,

एन0के0सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाये,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 22 जनवरी, 2011

विषय :– **उत्तर प्रदेश के *मा0 न्यायालयों द्वारा दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई/परिहार के सम्बन्ध में।***

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र ***संख्या–87/प्रोबेशन, दिनांक 04 जनवरी, 2011*** के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 (1974 का सं–2) की धारा–432 की उपधारा–(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा ऐसे बंदियों को जो राज्य के दाण्डिक अधिकारिता के मा0 न्यायालयों द्वारा सिद्धदोष ठहराये गये हैं और जो इस राज्य की या अन्य राज्य की जेलों में निरूद्ध हैं, दण्डादेश में, नीचे विनिर्दिष्ट की गयी शर्तो तक परिहार स्वीकृत करती हैः–

1. (1) आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके उन बंदियों को, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा–304–बी, 364–ए, 376, 396 के अंतर्गत दण्डित हों, जिन्होंने विचाराधीन अवधि को सम्मिलित करते हुये **13 जनवरी, 2011** को 18 वर्ष की अपरिहार दण्डावधि पूर्ण कर ली हो, को मुक्त किया जाए।

(2) आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके उन बंदियों को, जो उपरोक्त प्रस्तर (1) में उल्लिखित भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं से भिन्न अपराधों के लिए दण्डित हों, जिन्होंने विचाराधीन अवधि को सम्मिलित करते हुये **13 जनवरी, 2011** को 16 वर्ष की अपरिहार दण्डावधि पूर्ण कर ली हो, को मुक्त किया जाए।

(3) ऐसे सिद्धदोष बन्दियों को, जिन्हें सीमित अवधि के दण्ड से दण्डित किया गया है, यदि वे –

दृष्टिहीन, कैन्सर रोग से ग्रसित हैं और उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर–195 से 197 के अन्तर्गत मुक्ति के लिए अर्ह हैं तथा उन्हें उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल प्रस्तर–195 सपठित अधिसूचना संख्या–395/22–1–91–4883–90(का–4), दिनांक 04 मार्च, 1991 के अन्तर्गत अन्धत्व या कैंसर से

ग्रसित होने का चिकित्सा प्रमाण–पत्र मुक्त किए जाने की संस्तुति के साथ मेडिकल बोर्ड द्वारा इस शासनादेश की दिनॉक से पूर्व जारी कर दिया है तो उन्हें बिना शर्त मुक्त कर दिया जाए।

(4) उन समस्त महिला बन्दियों को जिन्हें सीमित अवधि के दण्ड से दण्डित किया गया है और जिन्होंने **13 जनवरी, 2011** को विचाराधीन अवधि को सम्मिलित करते हुए 05 वर्ष से अधिक का वास्तविक दण्ड भुगत लिया हो, दण्ड के शेष भाग का परिहार करते हुए उन्हें बिना शर्त मुक्त कर दिया जाए।

2– उपरोक्त बिन्दु–(1) एवं (2) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत बन्दियों की रिहाई उनके द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं गुणावगुण के आधार पर की जायेगी।

3– मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित ऐसे बन्दी जिनका जेल आचरण अच्छा हो, को परिहार दिये जाने हेतु निम्न प्राविधान प्रस्तावित है :–

(1) नीचे दी गयी सारिणी के कालम–(2) में निर्दिष्ट श्रेणी के बन्दियों को उक्त सारणी के कालम–(3) में विनिर्दिष्ट किया गया परिहार मंजूर किया जायेगा, परन्तु उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर–815 के अन्तर्गत शासनादेश निर्गत होने की तिथि से विगत एक वर्ष में दण्डित बन्दी परिहार के पात्र नहीं होगें :–

सारिणी:–

क0	बंदियों की श्रेणी	स्वीकृत परिहार
1	2	3
1	आजीवन कारावास से दण्डित किये गये बंदियों को सम्मिलित करते हुये ऐसे बंदियों को, जिन्हे 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डित किया गया है–	चार माह
2	05 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक के कारावास से दण्डित बंदी–	तीन माह
3	03 वर्ष से अधिक और 05 वर्ष तक के कारावास से दण्डित बंदी–	दो माह
4	02 वर्ष से अधिक और 03 वर्ष तक के कारावास से दण्डित बंदी–	एक माह और पन्द्रह दिन
5	01 वर्ष से अधिक और 02 वर्ष तक के कारावास से दण्डित बंदी–	एक माह
6	06 मास से अधिक और एक वर्ष तक के कारावास से दण्डित बंदी–	पन्द्रह दिन
7	ऐसे बंदियों को, जो परिहार प्रणाली के अन्तर्गत नहीं आते हैं, को छोड़कर 06 माह या उससे कम कारावास से दण्डित बन्दी–	सात दिन

4. ऊपर प्रस्तर–1 के उप पैरा (1) से (4), प्रस्तर– 2 एवं प्रस्तर– 3 के उप पैरा–1 में विनिर्दिष्ट रिहाई/परिहार निम्नलिखित को मंजूर नही किया जायेगाः–

(क) ऐसे बंदी, जो ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराये गये हों:–

(एक) जिसका अन्वेषण, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का सं. 25) के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) से भिन्न किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण करने के लिए सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया था, या

(दो) जिसमें केन्द्रीय सरकार की सेवा के किसी सम्पत्ति का दुर्विनियोग या नाश अथवा नुकसान अंतवर्लित हो, या

(तीन) जिसे केन्द्रीय सरकार की सेवा के किसी व्यक्ति द्वारा तब किया गया था, जबकि वह अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था या उसके द्वारा ऐसा कार्य करना तात्पर्यित था।

(ख) ऐसे बंदी:–

(एक) जिन्हें न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश जेल नियमावली के नियम–286(ए से एच) के अधीन आभ्यासिक अपराधियों के रूप में वर्गीकृत किया गया हो (अभ्यस्त अपराधी), या

(दो) जो शासनादेश के दिनांक को मा0 न्यायालय द्वारा स्वीकृत जमानत पर जेल से बाहर हों, या

(तीन) जिन्हे किसी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिभूति देने के लिए आदेश किये गये हों और जो ऐसी प्रतिभूति न देने के कारण कारावास भुगत रहे हों, या

(चार) जो बन्दी विदेशी नागरिक हो । किसी बन्दी की नागरिकता के सम्बन्ध में संदेह होने की दशा में उसकी मुक्ति के पूर्व सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक से पुष्टि करा लेना आवश्यक होगा, या

(पॉच) सैनिक अदालतों द्वारा दण्डित बन्दी, या

(छः) विचाराधीन/नजरबंद बन्दी।

(ग) ऐसे बंदी जो निम्नलिखित अधिनियमों के अधीन अपराधों के लिये सिद्धदोष ठहराये गये हों:–

(1) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 (1940 का सं. 23),

(2) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का सं. 46),

(3) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का सं. 19)

(4) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का सं. 37),

(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10),

(6) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 22),

(7) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का सं. 52),

(8) आबकारी अधिनियम, उत्तर प्रदेश–1910

(9) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का सं. 61),

(10) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का सं. 52),

(11) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का सं. 43),

(12) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 46),

(13) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65),

(14) क्रिमनल लॉ अमेन्डमेन्ट एक्ट की धारा 2 व 3 के अन्तर्गत दण्डित बन्दी तथा आई0पी0सी0 की धारा 121 से 131 में दण्डित बन्दी।

(15) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987(1987 का सं. 28): निरसित अधिनियम)

(16) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49),

(17) अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989.

(18) विस्फोटक अधिनियम, 1884

(19) अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेन्शन) एक्ट, 1967 यथा संशोधित।

(20) सामूहिक नरसंहार से सम्बन्धित बन्दी ।

(21) अभ्यस्त अपराधी ।

3. **इन आदेशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश भी दिए जाते हैं:–**

(1) इस शासनादेश से आच्छादित होने वाले आजीवन कारावासी बन्दियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी जिस पर गुणावगुण के आधार पर विचारोपरान्त बन्दियों को मुक्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

(2) उपरोक्त आदेशों के अन्तर्गत आजीवन कारावास के बन्दियों को इस शर्त पर मुक्त किया जाएगा कि वह मुक्ति के पूर्व अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति बनाये रखने के लिए सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के सन्तोषानुसार रूपया 10,000/–(रूपया दस हजार मात्र) से अनाधिक धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करेंगें ।

भवदीय,

(एन0के0 सिंह)
विशेष सचिव।

18(64)99.doc

संख्या– 54 (1)/22–2–2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
3– स्टाफ आफिसर, मंत्रि मण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4– सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5– समस्त प्रान्तों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव।
6– मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, उत्तर प्रदेश शासन।
7– प्रमुख सचिव, चिकित्सा, उत्तर प्रदेश शासन।
8– रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
9– महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश/प्रमुख सचिव, न्याय उ0प्र0 शासन।
10– पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11– समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
12– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
13– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14– क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक, कारागार, मेरठ/इलाहाबाद/आगरा/गोरखपुर/बरेली/लखनऊ।
15– समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय एवं जिला कारागार, उत्तर प्रदेश।
16– निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

/

(एन0के0 सिंह)
विशेष सचिव।